

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 627]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 नवम्बर 2017—अग्रहायण 2, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2017

क्र.-एफ-3-100-बत्तीस-2010.—रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 43(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन करती है.

2. मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का मुख्यालय भोपाल होगा.
3. मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2017 में प्रगणित हो.
4. मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, अधिनियम की धारा 47 में विहित अवधि के लिये पद धारण करेंगे.
5. मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम 30 के उपनियम (1) के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

1253